

कार्यालय नगर पंचायत मसवासी जनपद रामपुर।

पत्रांक- 346 / न0प0म0 / 2020-21

दिनांक:- 03.10.2020

अल्पकालीन ई0 निविदा सूचना

समस्त संस्थाओं/ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत बोर्ड फण्ड व राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से दुकानों का निर्माण कार्य किये जाने हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। टेण्डर/निविदा बेबसाईड **e-tenderup.nic.in** पर आन-लाईन देखी, अपलोड व डाउनलोड की जा सकती है। कार्य की धरोहर राशि डिजीटल पैमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी, तथा निविदा मूल्य (जी0एस0टी0 सम्मिलित करते हुए) नगर पंचायत मसवासी (रामपुर) के खाता सं0-**13480100005210** बैंक ऑफ बड़ौदा मसवासी आईएफएससी कोड- **BARBOMASWAS** में नगर पंचायत मसवासी के पक्ष में जमा करना सुनिश्चित करें। प्राप्त ई-निविदा को अधोहस्ताक्षरी की उपस्थिति में खोला जायोगा। ई-निविदा खोले जानें वाली दिनांक को सार्वजनिक अवकाश एवं विषम परिस्थिति होने की दशा में अगले कार्य दिवस अथवा अन्य दिवस में खोली जाएगी। विवरण निम्नवत् है :-

| | | |
|---|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | वेवसाईड पर ई-निविदा की प्रकान की तिथि व समय | 05.10.2020 को अपराहन 12 बजे |
| 2 | ई-निविदा डाउनलोड/अपलोड करने की प्रारम्भिक तिथि/समय | 05.10.2020 अपराहन 12 बजे से |
| 3 | ई-निविदा डाउनलोड/अपलोड करने की अन्तिम तिथि/समय | 16.10.2020 अपराहन 2 बजे तक |
| 4 | ई-निविदा को खोलने की तिथि व समय | 16.10.2020 को अपराहन 3 बजे |

| क्र0 सं0 | निर्माण कार्य का नाम | अनुमानित लागत | जमानत धनराशि | निविदा मूल्य | कार्य अवधि |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 1 | नगर पंचायत कार्यालय परिसर के पश्चिम दिशा में 8 दुकानों का निर्माण कार्य वार्ड 13 | 995200.00 | 19904.00 | 2180.00 | 6 माह |
| 2 | नगर पंचायत कार्यालय परिसर के पश्चिम दिशा में 9 दुकानों का निर्माण कार्य वार्ड 13 | 998400.00 | 19968.00 | 2180.00 | 6 माह |
| 3 | नगर पंचायत कार्यालय परिसर के दक्षिण दिशा में 8 दुकानों का निर्माण कार्य वार्ड 13 | 946700.00 | 18934.00 | 2180.00 | 6 माह |
| 4 | नगर पंचायत कार्यालय परिसर में ओवर हैड टैंक के पास 8 दुकानों का निर्माण कार्य वार्ड 13 | 946700.00 | 18934.00 | 2180.00 | 6 माह |

शर्त:-

- 1- निर्माण फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल का भुगतान तभी किया जाना सम्भव होगा जब विभागीय अधिकारी/लोक निर्माण विभाग/जांच समिति द्वारा कार्य मानक अनुरूप, व प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय द्वारा सन्तोष जनक होने का आदेश दिया जाएगा।
- 2- निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य/आपूर्ति न कराये जाने अथवा अनुबन्ध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर बिल में से धनराशि की कटौती तथा जमानत धनराशि जब्त करने एवं अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी नगर पंचायत मसवासी में निहित होगा।
- 3- किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी नगर पंचायत मसवासी का निर्णय अंतिम होगा और सम्बन्धित फर्म को मान्य होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जनपद रामपुर होगा।
- 4- आपूर्ति का भुगतान समस्त जांच उपरान्त तथा शासन से समय वृद्धि पश्चात धन उपलब्धता के अनुसार ही किया जायेगा।
- 5- अपठनीय/अस्पष्ट स्कैन/ओवर राइटिंग, कापी टेण्डर के साथ अपलोड होने पर निविदा निरस्त कर दी जाएगी।

- 6- निर्माण, निविदा स्वीकृति के उपरान्त कार्याआदेश के साथ अवशेष 8 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करते हुए अनुबन्ध पत्र की औपचारिकताओं की पूर्ति करना अनिवार्य होगा।
- 7- ठेकेदार को निविदा मूल्य के बराबर कार्य अनुभव के प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 8- सशर्त निविदा मान्य न होगी।
- 9- निविदा तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड अलग-अलग डालनी होगी तथा तकनीकी बिड सही पाये जाने पर ही वित्तीय बिड खोली जायेगी। ठेकेदार/फर्म को टेण्डर/निविदा के साथ चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र (वैधता कार्य की अवधि तक) जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 10- निविदा के साथ 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि जमा करना तथा कार्याआदेश के समय तत्काल शेष 8 प्रतिशत धरोहर धनराशि जमा करते हुये अनुबन्ध पत्र की औपचारिकताये का पूर्ति करना अनिवार्य होगा।
- 11- ठेकेदार या संस्था नगर पंचायत मसवासी का वकायेदार व किसी भी विभाग से ब्लैक लिस्टेड नही होना चाहिये।
- 12- ठेकेदार/संस्था को शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये शासनादेशो का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- 13- टेण्डर के साथ गत 3 वर्षो की आयकर रिटर्न संलग्न करना अनिवार्य हैं।

(अवधेश मिश्र)
अधिशशासी अधिकारी
नगर पंचायत

पंचायत

मसवासी

जनपद रामपुर।

(हरिओम मौर्य)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1.अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), रामपुर

2. सम्पादक

को इस आशय से कि वह उक्त सूचना का कम से कम स्पेस में सुस्पष्ट स्थान

पर प्रकाशन उपरान्त भुगतान हेतु अपना बिल प्रस्तुत करें।

3. प्रभारी एन0आई0सी0 रामपुर को सीडी सहित इस अनुरोध के साथ कि उक्त सूचना का अपलोड करने का कष्टकरें।

4..नजारत नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

5.समस्त अधिशशासी अधिकारी नगरपालिका/नगर पंचायतें जनपद रामपुर

6.कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु

अधिशशासी आधिकारी
नगर पंचायत मसवासी

